उपायुक्त का न्यायालय,कोडरमा

लगान निर्धारण रिविजन संख्या–02/2010

धर्मनाथ सिंह एवं अन्य बनाम राज्य एवं 1 अन्य।

आदेश

19.9.16

आवेदक धर्मनाथ सिंह पिता स्व0 जंगबहादुर सिंह, ग्राम–झुमरी तिलैया द्वारा लगान निर्धारिण रिविजन संख्या–02/2010 में तत्कालीन उपायुक्त कोडरमा द्वारा दिनांक 28–8–2014 को पारित आदेश के विरूद्ध के विरूद्ध पुनर्विचार याचिका दायर किया गया है। तत्कालीन उपायुक्त, कोडरमा द्वारा दिनांक 28–8–2014 को आदेश पारित करते हुए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा विविध अपील वाद संख्या–03/2008–09 धर्मनाथ सिंह बनाम प्रमोद कुमार जैन में दिनांक 14.08.2010 को पारित आदेश को यथावत रखा गया है और प्रस्तुत वाद को खारीज किया गया है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में कहा गया है कि खेवट नं0–01 बकास्त भूमि है, जिसके खेवटदार मालिक रामनारायण सिंह थे। रामनारायण सिंह की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र लक्ष्मी नारायण सिंह उक्त खेवट के उत्तराधिकारी बने। कामाख्या नारायण सिंह एवं बसंत नारायण सिंह को छोड़कर लक्ष्मी नारायण सिंह मरे। जमीन्दारी के समय पदमा राज के राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह हुए। कामाख्या नारायण सिंह एक मात्र पुत्र इन्द्र जितेन्द्र नारायण सिंह को छोड़कर मरे। पूर्ण भूमि के मालिक इन्द्र जितेन्द्र नारायण सिंह हुए। उनके द्वारा केवाला नं0–5932 दिनांक 24.10.2004 को मौजा बेलाटाड़, थाना तिलैया, थाना नं0–246 के खाता नं0–02, प्लॉट नं0–52, रकवा–0.20डी0 मधे रकवा 1.08 ए0 आवेदक को बिक्री कर दी गई। अन्य खरीददार अशोक सिंह, अरूण सिंह की तरह आवेदक भी उक्त भूमि को चाहरदिवारी से घेर दिये। भूमि क्रय करने के पश्चात आवेदक लगान निर्धारण हेतु अंचल अधिकारी के यहां आवेदन पत्र दिये, जिसपर विपक्षी द्वारा आपत्ति कर दी गई। इसके पश्चात अंचल अधिकारी द्वारा Rent Assessment Case No.23/2007-08 खारीज कर दिया गया। विविध अपील वाद संख्या–03/2008–09 धर्मनाथ सिंह बनाम प्रमोद कुमार जैन में दिनांक 14.08.2010 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा Rent Assessment Appeal Case No.03/08-09 में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आवेदक के अपील आवेदन को खारिज कर दिया गया।

C.C.No 266 21.9.16

अंचल अधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 1038 दिनांक 14–9–2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, " मौजा–बेलाटांड के अन्तर्गत खाता नं0–02, प्लॉट नं0–52, रकवा–1.04 ए0 भूमि की मापी पूर्व में कार्यालय ज्ञापांक 446 दिनांक 12.04.2016 के आलोक में की गई है, जिसमें पूरे प्लॉट की मापी कर चिन्हित करवा दिया गया था। उक्त प्लॉट की वास्तविक स्थिति, जिसमें 0.1050 एकड़ भूमि पर श्री अशोक कुमार सिंह पिता स्व सीताराम सिंह का पक्का मकान बना हुआ पाया गया एवं 0.66 ए0 भूमि खाली है जो कि बॉण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है तथा प्रश्नगत भूमि के ही अंश में 0.22 ए0 भूमि पर सुशीला देवी पति रूपचन्द जैन वो दिनेश सिंह पिता स्व0 केदार सिंह वो परमेश्वर सिंह वो जयप्रकाश नारायण वो लक्ष्मी नारायण पिता स्व0 रामदास भगत का मकान बना हुआ है तथा 05.5 डी0 भूमि के अन्तर्गत गोपाल प्रसाद का मकान एवं रास्ता बना हुआ है।

C.C.No 297 4.11.16

C.C.No 320 6.12.16

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

Scanned with CamScanner

इनलोंगो के द्वारा स्थल पर अपने दखल कब्जे से संबंधित भूमि का कोई कागजात प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि खाता नं0–02, प्लॉट नं0–52 में खाली भूमि मात्र 0.66 ए0 है। उक्त भूमि पर श्री प्रमोद कुमार जैन वो पप्पु कुमार जैन के द्वारा 0.49 एकड़ भूमि पर दावा करते हैं तथा अशोक कुमार सिंह, पिता स्व0 सीताराम सिंह के द्वारा 0.24 एकड़ भूमि पर अपना दावा करते हैं तथा धर्मनाथ सिंह पिता स्व0 जंग बहादुर सिंह वगैरह द्वारा 0.20 एकड़ भूमि पर दावा करते है। इस प्रकार कुल मिलाकर 0.93 ए0 भूमि पर अपना दावा किया जा रहा है, जिसमें श्री अशोक सिंह का 0. 1050 ए0 भूमि पर पूर्व से मकान बना हुआ है।

ऐसी स्थिति में जबतक उपरोक्त दखलकार सुशीला देवी पति रूपचन्द जैन वो दिनेश सिंह पिता स्व0 केदार सिंह वो परमेश्वर सिंह वो जयप्रकाश नारायण वो लक्ष्मी नारायण पिता स्व0 रामदास भगत वगैरह से उक्त प्लॉट में दखल कब्जे से संबंधित भूमि की कागजात की सत्यापन नहीं हो जाती है कि इनलोंगो को किस प्रकार भूमि प्राप्त है, तबतक धर्मनाथ सिंह वगैरह का दखल दिहानी का कार्य संभव प्रतीत नही होता है। उक्त भूमि विवादित है।''

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, कोडरमा ने दिनांक 14–8–2010 को पारित अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि, ''प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का कभी दखल कब्जा नहीं रहा है। उत्तरवादी (प्रमोद कुमार जैन) का प्रश्नगत भूमि के लिये विधिवत जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद अद्यतन निर्गत है तथा भूमि पर दखलकार है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी तरह का फेरबदल करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।''

संचिका में संलग्न कागजात और पूर्व में पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक धर्मनाथ सिंह द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में न ही कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई नियम की बिन्दू दर्शायी गयी है।

अतः आवेदक के पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए दिनांक 28–8–2014 को पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

लेखाापित एवं संशोधित

उपायुक्त,कोडरमा। 18/9

उपायुक्त का न्यायालय कोडरमा

उपायुक्त 18/9
कोडरमा।

Scanned with CamScanner